सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI-- 620 001

सी.सं. VIII/48/26/2016-सीशु नीति दिनांक 09.08.2017

सार्वजनिक सूचना सं 12/2017

विषय : जीएसटी के अधीन निर्यात के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न ।

आयातक/निर्यातक का ध्यान करदाता सेवा महानिदेशालय, सीबीईसी द्वारा जीएसटी के अंतर्गत आयात पर जारी प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) की ओर आकर्षित किया जाता है । व्यापार समूह की सुविधा के लिए एफएक्यू नीचे दिए जाते हैं ।

प्रश्न 1 : जीएसटी विधि के अंतर्गत निर्यात से कैसा व्यवहार किया जाता है ?

उत्तर : जीएसटी विधि के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात इस प्रकार माना गया है :

- आईजीएसटी विधि में शामिल और अंतर-राज्य आपूर्ति
- 'शून्य दर की आपूर्ति ' यानी निर्यात की गई वस्तु या सेवा इन्पुट स्तर पर या अंतिम उत्पाद स्तर पर उनपर लगे जीएसटी से मुक्त किए जाएंगे ।

प्रश्न-2 : माल के निर्यात पर शून्य रेटिंग पर जीएसटी का क्या प्रभाव होगा ?

उत्तर : यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भरतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाएगा ।

प्रश्न 3 : क्या विनिर्माता निर्यातक द्वारा निर्यात संबंधी कार्यविधि को जीएसटी व्यवस्था में सरल बनाया गया है ?

उत्तर : हॉ । निर्यात संबंधी कार्यविधि को सरल बनाया गया है जिससे कागजी कामकाज और निर्यात के विभिन्न स्तर पर विभाग के अंत-क्षेप को समाप्त किया गया है । जीएसटी व्यवस्था के अधीन निर्यात योजना के मुख्य अंश निम्न प्रकार है :

- वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात आइजीएसटी की अदायगी पर किया जा सकता है, जिसका वस्तुओं के निर्यात के बाद रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है या

आइजीएसटी की अदायगी के बिना बंधपत्र या वंचनबंध पत्र (एलयूटी) के अधीन किया जा सकता है ।

- बंध पत्र या एलयूटी के अधीन वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात के मामले में निर्यातक निर्यात के कारण जमा हुआ आइटीसी के रिफंड का दावा कर सकता है ।
- वस्तुओं के मामले में निर्यात करने के लिए शिपिंग बिल ही एक मात्र कागजात जिसको सीमा शुल्क के साथ फाइल करना है । एआरई 1/एआरई 2 फाइल करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।
- निर्यात के लिए की गई आपूर्ति को स्व-मुहरबंदी एवं स्व-प्रमाण द्वारा बिना विभागीय अधिकारी के अंत:क्षेप के किया जाना है ।
- सीमा शुल्क के साथ फाइल किया गया शिपिंग बिल को आइजीएसटी के रिफंड का आवेदन माना जाता है और निर्यात जेनरल मेनिफेस्ट के प्रस्तुतीकरण और आवेदक द्वारा फार्म जीएसटीआर:3 में वैध रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद फाइल किया गया समझा जाता है ।
-

प्रश्न 4: जीएसटी व्यवस्था के अधीन निर्यात कार्यविधि में मेंर्चंट निर्यातकों के लिए क्या कोई परिवर्तन है ?

उत्तर : जीएसटी व्यवस्था के अधीन मेर्चंट या विनिर्माता निर्यातक का अवधारणा असंगत बन जाएगा । निर्यात के लिए की गई आपूर्ति संबंधित कार्यविधि मेर्चंट निर्यातक और विनिर्माता निर्यातक के लिए समान है ।

प्रश्न 5 : जीएसटी विधि में एसईजेड एकक या एसईजेड विकासक को की गई आपूर्ति शून्य दर आपूर्ति माना जाता है । फिर जीएसटी विधि में डीटीए एकक से एसईजेड एकक या एसईजेड विकासक को कर चार्ज न करने के बारे में विशिष्ट उल्लेख क्यों नहीं है ?

उत्तर : हॉ, एसईजेड एकक या एसईजेड विकासक को की गई आपूर्ति शून्य दर की है । निर्यात के लिए की जा रही आपूर्ति की तरह ही एसईजेड एकक या एसईजेड विकासक को आपूर्ति की जा सकती है ।

- रिफंड दावा के अधीन आइजीएसटी की अदायगी पर
- या बंधपत्र या एलयूटी के अधीन बिना आइजीएसटी अदा किए ।
-

प्रश्न 6 : जब एक एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासक किसी अपंजीकृत पूर्तिकर्ता से किसी भी माल या सेवाओं की खरीद करता है, तो क्या एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासक को रिवर्स चार्ज के तहत आईजीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता है या ये शून्य दर आपूर्ति होगी ?

उत्तर आईजीएसटी कानून के तहत एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासक को की गई आपूर्ति को अंतर-राज्य आपूर्ति का स्थान प्रदान किया गया है। जीएसटी कानून के तहत, अंतर राज्य आपूर्ति करने वाले किसी भी पूर्तिकर्ता को अनिवार्य रूप से जीएसटी के तहत पंजीकृत किया जाना है। इस प्रकार एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासक को आपूर्ति करने वाले को जीएसटी पंजीकरण आवश्य लेना होगा।

प्रश्न 7 जीएसटी शासन के दौरान माल या सेवाओं के निर्यात के संबंध में कितनी जल्दी धन वापसी प्रदान की जाएगी ?

उत्तर

क) निर्यात में प्रयोग किए इंपुट पर कर के रिफंड के मामले में :

- धन वापसी आवेदन की पावती के सात दिनों के अंदर 90% धन वापसी अनंतिम रूप से प्रदान की जाएगी ।
- हर तरह से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अधिकतम अवधि में शेष 10 % का भुगतान किया जाएगा । 60 दिन के अंदर संपूर्ण धन वापसी प्रदान न करने पर 6 % के हिसाब से ब्याज देय होगा ।

ख) निर्यात पर अदा किए आइजीएसटी की धन वापसी के मामले में : आम पोर्टल से निर्यातक द्वारा फॉर्म जीएसटीआर -3 में मान्य रिटर्न प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, सीमा शुल्क धन वापसी के दावे पर कार्रवाई करेगा और प्रत्येक शिपिंग बिल के संबंध में भुगतान किए गए आईजीएसटी की बराबर राशि निर्यातक के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।

प्रश्न 8 क्या नेपाल और भूटान को माल का निर्यात, शून्य दरवाला माना जाएगा और फलत: जीएसटी व्यवस्था के तहत शून्य दरवाले आपूर्ति के लिए उपलब्ध सभी लाभों के लिए अर्हक होगा ?

उत्तर : नेपाल और भूटान को माल का निर्यात, भारत से माल बाहर ले जाने के संबंध जीएसटी कानून के शर्त को पूरा करता है । अत: नेपाल और भूटान को माल का निर्यात शून्य दरवाला माना जाएगा और इसके फलस्वरूप शून्य दर वाली आपूर्ति के लिए उपलब्ध सभी लाभों के लिए अर्हक होगा । तथापि जीसटी कानून में 'सेवाओं का निर्यात' की परिभाषा यह अपेक्षा करती है कि इस तरह की सेवाओं के लिए अदायगी सेवाओं की पूर्तिकर्ता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जानी चाहिए ।

प्रश्न 9 जीएसटी कानून के तहत मानित निर्यात क्या है ? क्या सरकार द्वारा कोई आपूर्ति मानित निर्यात श्रेणी में रखी गयी है ?

उत्तर : मानित निर्यात को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (39) के तहत माल की आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 147 के

तहत अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 147 के अधीन सरकार, परिषद की सिफारिश पर, भारत में विनिर्मित माल के कुछेक आपूर्ति को मानित निर्यात अधिसूचित कर सकता है जिसमें आपूर्ति किए माल भारत से बाहर नहीं जाते और ऐसे आपूर्ति के लिए भुगतान भारतीय रुपए में या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है । तथापि, आज तक, सरकार ने किसी आपूर्ति को मानित निर्यात अधिसूचित नहीं किया है ।

प्रश्न 10 : क्या जीएसटी व्यवस्था में ईओयू योजना चालू रहेगा एवं जीएसटी कानून के अधीन ईओयू को पंजीकरण करना है ?

उत्तर जीएसटी के तहत ईओयू योजना किसी अन्य पूर्तिकर्ता के समान है और जीएसटी कानून के सभी प्रावधान लागू है । तथापि, आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का छूट जारी रहेगा ।

प्रश्न 11 : जीएसटी व्यवस्था में ईओयू योजना के लिए क्या कर लाभ उपलब्ध होगा ?

उत्तर जीएसटी व्यवस्था के तहत शुल्क मुक्त आयात बेसिक कस्टम ड्यूटी तक सीमित रहेगा । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 3(1), 3(3) एवं 3(5) के अधीन सीमा शुल्क के अतिरिक्त ड्यूटी, यदि हो, से छूट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चौथी अनुसूची में उल्लिखित माल के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट उपलब्ध होगा । ईओयू के लिए आपूर्ति करनेवाले पूर्तिकर्ता द्वारा आइजीएसटी या सीजीएसटी एवं एसजीएसटी अदा करना होगा। कोई अन्य पंजीकृत व्यक्ति के समान ईओयू भी उसके पूर्तिकर्ता द्वारा अदा किए जीएसटी पर इंपुट टैक्स क्रेडिट लेने का पात्र है ।

प्रश्न 12 : क्या ईओयू को या ईओयू से आपूर्ति के लिए जीएसटी से छूट है ?

उत्तर नहीं ।

- जीएसटी कानून के तहत, ईओयू को आपूर्ति करनेवाले पूर्तिकर्ता द्वारा आइजीएसटी या सीजीएसटी एवं एसजीएसटी अदा करना होगा । ईओयू अपने पूर्तिकर्ता द्वारा अदा किए जीएसटी पर इंपुट टैक्स क्रेडिट लेने का पात्र है ।
- आइजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अंदर परिभाषित शून्य दरवाले आपूर्ति को छोड़कर यानी, ईओयू द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात या आपूर्ति के रूप में कोई एसईजेड एकक या एसईजेड विकासक को प्रधिकृत प्रचालन के लिए की गई आपूर्ति को छोडकर अन्यथा ईओयू से आपूर्ति को जीएसटी से छूट नहीं है ।

प्रश्न 13 जीएसटी व्यवस्था में बिना सीमा शुल्क अदा किए माल के आयात के लिए ईओयू द्वारा क्या कार्यविधि अपनाया जाएगा ?

उत्तर ऐसे आयात लाभों का फायदा उठाने के लिए ईओयू को सीमा शुल्क (इयूटी के रियायती दर पर माल के आयात) नियमावली, 2017 के अधीनवाले कार्यविधि का पालन करना है ।

प्रश्न 14: क्या एक ईओयू दूसरे ईओयू को माल की निकासी कर सकता है (अंतर-एकक स्थानांतरण) ? क्या ऐसे माल पर जॉब वर्क करने के लिए ईओयू माल को भेज सकता है ? ऐसी परिस्थितियों में कर दायित्व का निर्वहन किया जाएगा ?

उत्तर : एक ईओयू से दूसरे ईओयू के लिए माल की आपूर्ति, जीएसटी कानून के तहत अन्य कोई आपूर्ति की तरह ही माना जाएगा । सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 143 एवं सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 45 के अनुसार ईओयू माल को जॉब वर्क के लिए भेज सकता है और कर दायित्व का तदनुसार निर्वहन किया जाएगा ।

प्रश्न 15: मेसर्स एक्सवाईजेड माल के निर्यात में जुड़ा हुआ है जिसमें केवल रुपये 5 करोड़ का निर्यात होता है और घर की खपत के लिए कोई निकासी प्रभावित नहीं है। मेसर्स एक्सवाईजेड को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी । **क्या मेसर्स एक्सवाईजेड को जीएसटी के अधीन अपने आप को पंजीकृत कर लेने की आवश्यकता है ?**

उत्तर : हॉ . क्योंकि आइजीएसटी कानून के अधीन निर्यात को अंतर-राज्य आपूर्ति माना गया है ।

प्रश्न 16: निर्यात के लिए छूट प्राप्त उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में हम लगे हैं । निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इंपुट स्टेज रिबेठ को लाभ उठाया । हमारी आपूर्ति छूट प्राप्त आपूर्ति ही रहने पर जीएसटी कानून के अधीन इस मामले को कैसे डील किया जाएगा ?

उत्तर : आईजीएसटी कानून के तहत माल, जो छूटप्राप्त आपूर्ति है, के निर्यात में लगे कोई व्यक्ति, शून्य रेटेड की आपूर्ति के लिए इनपुट स्टेज क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र है । जब माल का निर्यात किया जाता है, आइजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(3)(ए) एवं सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत अप्रयुक्त क्रेडिट की धन वापसी का लाभ उठाया जा सकता है ।

प्रश्न 17: हम विभिन्न उत्पादों के व्यापार से जुडे मेर्चंट निर्यातक है । वर्तमान कार्यविधि के अनुसार हम सीटी 1/एआरई 1 के अधीन विशेष कारखाने से माल खरीदते है जिससे कोई उत्पाद शुल्क हम पर नहीं लगता है । माल का निर्यात करने पर हम निर्यात का प्रमाण और फार्म एच (बिक्री कर छूट के लिए) संबंधित कारखाने को प्रस्तुत करते है । जीएसटी का हम पर क्या प्रभाव होगा और अब प्रकिया क्या होगी ?

उत्तर : जीएसटी व्यवस्था में कर योग्य घटना माल की आपूर्ति है । निर्यात अंतर-राज्य आपेर्ति होने कि कारण आपको जीएसटी पंजीकरण लेने की आवश्यकता है । विनिर्माता आपको आइजीएसटी या सीजीएसटी एवं एसजीएसटी/यूजीएसटी, जो भे लागू हो, की अदायगी पर आपको माल की आपूर्ति करेगा । माल एवं सेवाओं पर अदा किए कर पर इंपुट स्टेज क्रेडिट का लाभ उठा सकते है और माल को बंधपत्र/एलयूटी के अंदर निर्यात कर सकते है । अप्रयुक्त क्रेडिट को धन वापसी के रूप में ले सकते हैं । विकल्पत: आप एकीकृत कर की अदायगी पर माल का निर्यात कर सकते है और आपको एकीकृत कर का रिफंड उपलब्ध होगा ।

प्रश्न 18 जीएसटी जिस तारीख को लागू हो रहा है तब मेरे पास इंपुट, अधबनी वस्तुएँ और तैयार माल का स्टॉक है । पर मेरे पास ड्यूटी अदा करने कागजात नहीं है । जीएसटी लागू करने के बाद किए गए निर्यात के लिए जीएसटी से पहले भुगतान किए गए करों के लिए मुझे किस तरह मुआवजा दिया जा रहा है ?

उत्तर : ड्राबेक का लाभ उठाने के लिए तीन मास का संक्रमणकालीन अवधि दिया गया है । इस अवधि के दौरानवाले निर्यात के लिए उच्चतर दर की ड्यूटी ड्राबेक उपलब्ध होंगे बशर्ते कि सीजीएसटी/आइजीएसटी के आइटीसी का दावा नहीं किया जाता है , निर्यात माल पर कोई रिफंड का दावा नहीं किया जाता है और कोई सेनवेट क्रेडिट आगे नहीं ले लिया जा रहा है ।

प्रश्न 19 मैं एसईजेड एकक और विकासकों को माल आपूर्ति करता हूं। ऐसी आपूर्तियों के लिए फिलहाल प्राप्तिकर्ता को या मुझे ड्राबेक मिलता है (अगर प्राप्तिकर्ता अस्वीकरण देता है तो) । जीएसटी व्यवस्था के तहत ऐसे ड्राबेक की क्या स्थिति है ?

उत्तर : कोई परिवर्तन नहीं इस तथ्य को छोडकर कि अगर ड्राबेक डीटीए पूर्तिकर्ता द्वारा दावा किया जाता है तो दावा को क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास फाइल करना है ।

प्रश्न 20 क्या डीटीए में ईओयू माल की निकासी कर सकता है ?

उत्तर : हॉ । विदेशी व्यापार नीति में दिए गए प्रावधानों के अनुसार डीटीए में ईओयू माल की निकासी कर सकता है ।

प्रश्न 21 क्या एक निर्यातक को अपंजीकृत व्यक्तियों (अपंजीककृत जॉब वर्क सहित) से प्राप्त वस्तुओं के मामले में जीएसटी का भुगतान करना होगा ?

उत्तर : अपंजीकृत व्यक्ति (अपंजीकृत जॉब वर्क सहित) से आपूर्ति के मामले में पंजीकृत व्यक्ति. यानी निर्यातक को रिवर्स चार्ज मेकानिसम के तहत जीएसटी अदा करना है । तथापि निर्यातक ऐसे जीएसटी के आइटीसी का लाभ उठा सकता है और आइटीसी का प्रयोग कर सकता है या उसका रिफंड का दावा कर सकता है ।

प्रश्न 22 क्या विदेशी खरीदार के खरीदारी एजेंट द्वारा लिए गए एजेंसी कमिशन के लिए जीएसटी का भुगतान करना है ?

उत्तर : हॉ । चूँकि कमिशन एजेंट द्वारा भारत में प्राप्त किया जाता है और सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत है, जीएसटी का भुगतान करना है ।

जीएसटी के कार्यान्वयन पर निर्यात संवर्धन योजना का संक्रमण

प्रश्न 1 क्या जीएसटी व्यवस्था के अधीन ड्यूटी ड्राबेक योजना जारी रहेगा अगर हॉ तो ड्राबेक की दर क्या होगी ?

उत्तर :हॉ । जीएसटी व्यसव्था के अधीन ड्यूटी ड्राबेक योजना कुछेक संशोधन के साथ जारी रहेगा ।उक्त योजना में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- आयातित इंपुट पर सीमा शुल्क ड्यूटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं इंपुट या केप्टिव पावर जेनरेशन के लिए ईंधन का ही ड्राबेक उपलब्ध होगा ।
- निर्यात सरलीकरण उपाय के रूप में, तीन महीने के संक्रमण काल अवधि के लिए, जुलाई से सितंबर, 2017 तक उच्चतर समग्र दर पर ड्राबेक प्रदान किया जाना कुछेक संरक्षोपाय के अधीन जारी रहेगा । यानी उच्चतर दर पर ड्राबेक का दावा करने के लिए निर्यातक को एक घेषणा देना है और सीजीएसटी/आइजीएसटी का इंपुट कर क्रेडिट (आइटीसी) का दावा न करने, निर्यात काल पर भुगतान किए आइजीएसटी का रिफंड का दावा न करने और कोई सेनवेट क्रेडिट को आगे न ले जाने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है ।

प्रश्न 2 अगर किसी निर्यातक ने निर्यात माल पर भुगतान किए गए जीएसटी का इंपुट टैक्स क्रेडिट या आइजीएसटी का रिफंड का लाभ नहीं उठाया है तो क्या एक उच्चतर सभी उद्योग दर (एआइआर) स्वीकार्य है ?

उत्तर : नहीं । 30 सितंबर 2017 के बाद निर्यात के लिए माल की आपूर्ति हेतु आयातित माल पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क के आधार पर निर्णय किए गए निम्नतर दर पर ही ड्राबेक स्वीकार्य होगा ।

प्रश्न 3: अगर किसी निर्यातक को जीएसटी भुगतान किए गए इनपुट के साथ-साथ प्री-जीएसटी अवधि के इनपुट का स्टॉक होता है और अगर निर्यात माल में दोनों लॉट का उपयोग किया जाता है तो इस तरह के निर्यात पर क्या ड्राबेक आएगा ?

उत्तर : 30 सितंबर, 2017 तक संक्रमण अवधि के दौरान, निर्यातकों को उच्च दर पर ड्राबेक ले सकते है, बशर्ते कि सीजीएसटी / आईजीएसटी का कोई इनपुट क्रेडिट (आईटीसी) का दावा

नहीं किया जाता है. निर्यात वस्तुओं पर किये गये आईजीएसटी भुगतान के रिफंड का दावा नहीं किया जाता है और कोई सेनवैट क्रेडिट आगे नहीं ले लिया जाता है ।

प्रश्न 4 : 1 जुलाई, 2017 के बाद आवेदन किया गए जीएसटी कार्यान्वयन से पूर्व किए गए निर्यात के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए ड्राबेक की ब्रांड दर स्वीकार्य होगी ?

उत्तर : 1 जुलाई 2017 से पहले किए गए निर्यात के लिए, पहले कानून के तहत ड्राबेक योजना के अनुसार ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (48) में 'मौजूदा कानून' के रूप में परिभाषित) 1 जुलाई 2017 के बाद भी दिया जा सकता है ।

प्रश्न 5 : निर्यात मालों का जिस कारखाने में विनिर्माण हुए, उस पर अधिकारिता वाले केन्द्रीस उत्पाद शुल्क आयुकत के पास ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन दिए जाते थे । जीएसटी शासन के तहत, ब्रांड की दर के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने के बारे में कोई बदलाव होगा ?

उत्तर : 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, ब्रांड की दर के निर्धारण के लिए आवेदन, माल के निर्यात के स्थान पर यानी पत्तन/ हवाई पत्तन/आइसीडी आदि जहॉ पर शिपिंग बिल फाइल किया गया, उसके अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क आयुक्त के साथ दर्ज किया जाएगा। यह 1 जुलाई 2017 से पहले किए गए निर्यात के लिए भी लागू होगा जिसके लिए आवेदन अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। अगर निर्यात कई जगहों से हैं, तो आवेदन, वस्तुओं के निर्यात के किसी भी एक जगह पर अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क आयुक्त के साथ दर्ज किया जाएगा।

प्रश्न 6 : क्या एसएसजेड इकाइयों और एसईजेड विकासकों को आपूर्ति के लिए ब्रांडदर के निर्धारण के लिए जीएसटी शासन के तहत आवेदन भी बदल दिया गया है।

उत्तर :1 जुलाई 2017 से पहले, एसईजेड इकाइयों को आपूर्ति के लिए ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन और एसईजेड डेवलपर्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त के साथ दायर किए जाते थे। 1 जुलाई 2017 से प्रभाव के साथ, ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन डीटीए आपूर्तिकर्ता के व्यापार के प्रमुख स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क आयुक्त के साथ दर्ज किए जाने की आवश्यकता होगी । यह 1 जुलाई 2017 से पहले किए गए निर्यातों के लिए लागू होगा, जिसके लिए ब्रांड की दर के निर्धारण के लिए आवेदन अभी तक दर्ज नहीं किया गया है

प्रश्न 7 आयातित वस्तुओं के पुन: निर्यात पर, आयात के समय भुगतान किए गए सभी शुल्क का ड्राबेक पहले स्वीकार्य था, इस संबंध में निर्धारित दरों के अनुसार। 1 जुलाई 2017 से

पहले आयातित कालों की 1 जुलाई 2017 के बाद किए गए पुन: निर्यात के संबंध में क्या स्थिति होगी ? 1 जुलाई 2017 के बाद, आयातित माल पर आईजीएसटी और मुआवजा उपकर भी देय होगा। अगर इस तरह आईजीएसटी और मुआवजे के उपकर भुगतान किए आयातित माल का पुन:निर्यात किया जाता है तो आईजीएसटी और मुआवजा उपकर का ड्राबेक भी दिया जाएगा ?

उत्तर : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत आयात के समय भुगतान किए शुल्क के लिए ड्राबेक उपलब्ध है। इसलिए, माल के आयात के समय जो भी शुल्क/ करों का भुगतान किया जाता है, उसी के ड्राबेक दी जाएगी । 1 जुलाई 2017 के पहले आयातित माल पर मूल कस्टम ड्यूटी के साथ अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) का भुगतान किया जाएगा. भले ही 1 जुलाई 2017 के बाद पुन: निर्यात किया जाए। इसी तरह, 1 जुलाई 2017 के बाद आयातित माल के संबंध में, मूल सीमा शुल्क और आईजीएसटी प्लस मुआवजा उपकर का भुगतान किया जाएगा और आयातित माल का पुन: निर्यात पर उल भी का ड्राबेक का भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न 8 : जीएसटी व्यवस्था के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना, ईपीसीजी योजना और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जैसे भरत से वाणिज्य वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के तहत उपलब्ध सभी शुल्क से छूट का लाभ जारी रहेगा ?

उत्तर : 1 जुलाई 2017 के बाद, सभी उक्त योजनाओं के तहत लाभ केवल आईजीएसटी लगाए जाने वाले माल के संबंध में बुनियादी सीमा शुल्क ड्यूटी, संरक्षोपाय शुल्क और एंटी डंपिंग शुल्क तक सीमित किया जाएगा । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं (विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू, आदि) के लिए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1),3(3) एवं 3(5) के तहत शुल्क्य अतिरिक्त शुल्क से छूट उपलब्ध होगी ।

प्रश्न 9 जीएसटी व्यवस्था के तहत, अगर हम ईपीसीजी प्राधिकरण का इस्तेमल करतु हुए पूंजीगत माल आयात करते हैं, तो क्या हमें शुल्क मुक्त लाभ मिल सकता है (सभी शुल्क छूट प्राप्त) ?

उत्तर : ईपीसीजी प्राधिकरण के तहत किए गए आयातों पर केवल बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी ।ईपीसीजी धारक को पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी का भुगतान करना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होगा ।

प्रश्न 10 भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट योजना (एमईआइएस) और भारत (एसईआइएस)से सर्विस एक्सपोर्ट योजना (एसईआइएस) जैसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जीएसटी के भुगतान के लिए प्रयोग कर सकते हैं ?

उत्तर : नहीं. एमआईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप का उपयोग केवल जीएसटी व्यवस्था के तहत आयात के लिए जीएसटी में न शामितल किए गए मदों पर मूल सीमा शुल्क शुल्क या सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है ।

प्रश्न 11 विभिन्न प्राधिकरण / स्क्रिप जो 1 जुलाई 2011 से पहले जारी किए गए और 1.7.2017 को अनुपयुक्त रहे, उनके लिए क्या छूट होगी ?

उत्तर : जीएसटी कानून के तहत कोई छूट नहीं दी गई है। एफटीपी के अध्याय 3 के निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत एक्जिम स्क्रिप का उपयोग केवल आयात के समय जीएसटी द्वारा कसन नहीं की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क या सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रयोग किए जा सकते है । एकीकृत कर और मुआवजा उपकर के भुगतान के लिए स्क्रिप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह घरेलू खरीद के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के भुगतान के लिए स्क्रिप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

नोट : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का संदर्भ में एसजीएसटी अधिनियम, 2017 एवं यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 का संदर्भ भी शामिल है ।

अशोक

(अशोक)
आयुक्त

सेवा में,
1. मेलिंग सूची के अनुसार
2. आयुक्तालय की वेबसाइट
3. सूचना बोर्ड, तिरुच्चि

प्रतिलिपि प्रस्तुत:
मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.